Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to ensure adequate measures for setting up laboratories at all entry points for testing of food products imported into the country -laid.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार आयातित खाद्य और खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए ऐसी आयातित खाद्य सामग्री समुद्री मार्ग, एयर कार्गो या सीमा व्यापार के माध्यम से देश में आती है, की जाँच व प्रमाण पत्र देने हेतु FSSAI तथा प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु प्राधिकृत करने के लिए प्रणाली लागू की है। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार 635 एंट्री पॉइंट के बजाय ऐसी प्रणाली मात्र 150 चिन्हित स्थानों पर उपलब्ध है, जिसे परिणाम स्वरूप ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद लगभग 500 स्थलों पर प्रणाली ना होने से सैंपल लेने वाले ना उपलब्ध होने के कारण तथा औसतन 150 चिन्हित स्थानों पर भी गुणवत्ता रिपोर्ट आने से पहले ही खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा उपभोग होने की संभावना रहती है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

मेरा अनुरोध है कि खाद्य पदार्थों के आयात के सभी पॉइंट पर FSSAI नियुक्तियां तथा प्रयोगशाला स्थापित करना एवं आयात हो रही सामग्री पर केवल हिन्दी/अंग्रेजी या स्थानीय भाषाओं में हो जिससे जापान कोरिया आदि से आ रही सामग्री के विषय में भी पूरी जानकारी हो सके तथा लोगों के स्वास्थ्य को नुकसानदेह खाद्य पदार्थ से बचाया जा सके।